

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या-1113 / प्रवर्तन / स0सु0 / 1-8(64) / 2018
सेवा में,

दिनांक 14 मार्च, 2018

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय: दिनांक 11-02-2018 को उत्तरकाशी जनपद में हुई सड़क दुर्घटना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि दिनांक 11-02-2018 को उत्तरकाशी जनपद में लम्बगाँव मोटर मार्ग पर तहसील डुण्डा के अन्तर्गत सटियाली धार स्थान चुलुखेत के पास वाहन संख्या यू0के-14बीए-0759 की दुर्घटना में 06 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 04 व्यक्ति घायल हुए। दिनांक 14-02-2018 को लीड एजेन्सी द्वारा दुर्घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए अपनी आख्या उपलब्ध कराई गयी है।

2- प्रस्तुत आख्या के अनुसार दुर्घटना के कारणों में अन्य कारण के अतिरिक्त सड़क की चौड़ाई, केश बैरियर/सुरक्षा फीचर की अनुपलब्धता आदि भी एक कारण होने का उल्लेख किया गया है।

अतः लीड एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत आख्या की प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया लीड एजेन्सी द्वारा दिए गये सुझावों के अनुसार लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर कराने का कष्ट करें, और कृत कार्यवाही की आख्या इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोक्त।

भवदीया,

(सुनीता सिंह)

अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- 1- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन महोदय को सूचनार्थ।
- 2- अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(सुनीता सिंह)

अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

वाहन संख्या यूके-14टीए-0759 के दिनांक 11-02-2018 को स्थान-चूलीखेत, उत्तरकाशी
लम्बगौव मार्ग पर दुर्घटना होने के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय के पत्र संख्या-721/प्रवर्तन/स0सु0/2018 दिनांक 12-02-2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो कि वाहन संख्या यूके-14टीए-0759 के दिनांक 11-02-2018 को उत्तरकाशी लम्बगौव मार्ग पर चूली खेत के पास हुई दुर्घटना के स्थल निरीक्षण घटना के कारणों की जाँच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

उपरोक्त के अनुपालन में लीड एजेन्सी द्वारा दिनांक 14-02-2018 को निम्नलिखित अधिकारियों के साथ घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। जिसकी बिन्दुवार आख्या निम्नवत् प्रेषित की जा रही है:-

- 1- श्री कृष्णनन्द मिश्रा-नायब तहसीलदार, घौतरी
- 2- श्री प्रवीण कुमार- आर.आई., परिवहन विभाग उत्तरकाशी
- 3- श्री हरीश सिंह-सहायक अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड लो0नि0वि0, उत्तरकाशी
- 4- श्री रणदेव सिंह राणा-जूनियर इन्जीनियर, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी

बिन्दु संख्या-1

उक्त वाहन दिनांक 11-02-2018 को सांयकाल 07.00 बजे उत्तरकाशी लम्बगौव राज्य राजमार्ग संख्या- 15 पर उप तहसील घौतरी से लगभग 12 किलोमीटर आगे चूली खेत के पास उत्तरकाशी से लम्बगौव की तरफ जाते समय दुर्घटनाग्रस्त हुयी है। दुर्घटनाग्रस्त वाहन में 10 यात्री सवार थे। आर0आई0 द्वारा अवगत कराया गया कि वाहन में सभी व्यक्ति एक वैवाहिक कार्यक्रम की समाप्ति पर वापस जा रहे थे। दुर्घटना स्थल राजस्व क्षेत्र के अन्तर्गत

बिन्दु संख्या-2

घटना स्थल पर उपस्थित नायब तहसीलदार श्री कृष्ण कुमार मिश्रा के द्वारा बताया कि सम्बन्धित घटना की अभी तक प्राथमिकी अंकित नहीं की गयी है और न ही पोस्ट मार्टम रिपोर्ट उपलब्ध हो पायी है। अतः चालक द्वारा नशे का सेवन करने की पुष्टि पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट हो पायेगी।

बिन्दु संख्या-3

दुर्घटना ग्रस्त वाहन संख्या-यूके-14टीए-0759 मैक्सी कैब का संभागीय निरीक्षक प्राविधिक द्वारा 12-02-2018 को तकनीकी निरीक्षण किया गया है। संभागीय निरीक्षक द्वारा

कार्यालय परिवहन आयुक्त
उत्तराखण्ड, देहरादून

FEB 2018

1365

संख्या

आख्या उपलब्ध कराते हुये अवगत कराया गया कि उक्त वाहन श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री मदन सिंह C/O वालम सिंह पोखरियाल, 810 निकट चीनी गोदाम ढालवाला टिहरी गढ़वाल के नाम दिनांक 30-05-2016 को पंजीकृत हुई है तथा वाहन चालक वाहन का स्वामी था। जिसकी घटना स्थल पर मृत्यु हो चुकी है। वाहन चालक का लाईसेन्स सम्बन्धित स्थान पर उपलब्ध नहीं हो पाया है।

वाहन संख्या उपरोक्त सार्वजनिक सेवायान था। जो कुल 09 यात्री क्षमता में पास था, लेकिन वाहन में कुल 10 यात्री मौके पर वाहन में सवार थे। 06 यात्रियों की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो चुकी थी। जबकि 04 सवारी गम्भीर रूप से घायल होने के फलस्वरूप उत्तरकाशी व अन्य चिकित्सालयों में पुलिस तथा एस0डी0आर0एफ0 द्वारा भेजे गये थे।

बिन्दु संख्या-4

नायब तहसीलदार व सम्भागीय निरीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि वाहन का गियर वाक्स, इन्जन, क्लच ब्रेक आदि क्षतिग्रस्त पाये गये, वाहन की अगली व पिछली कमानी, शोकर, लोड बाडी, चालक के विन, बोनट, रेडियटर आदि क्षतिग्रस्त पाये गये। चारो टायर क्षतिग्रस्त पाये गये। वाहन की अगली हेड लाइट, ब्रेक लाइट, इन्डिकेटर, आगे का मुख्य शीशा, डेड बोर्ड फ्यूल टैंक आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पाये गये हैं। घटना का वास्तविक कारण अज्ञात है। ऐसी सम्भावना प्रतीत होती है कि घुमाव दार सड़क व रात्रि का समय होने के कारण चालक वाहन से नियन्त्रण खोने की दशा में वाहन दुर्घटना ग्रस्त हुआ है।

बिन्दु संख्या-5

राज्य राजमार्ग संख्या-15 सिंगल लेन का बना है। जो वर्तमान यातायात आयतन के सापेक्ष काफी संकरा है।

बिन्दु संख्या-5. 2

निरीक्षण के दौरान उपस्थित सहायक अभियन्ता श्री हरीश सिंह, लो0नि0 खण्ड उत्तरकाशी द्वारा घटना स्थल के बारे में अवगत कराया गया कि इस मार्ग के चौड़ीकरण हेतु प्रस्ताव वर्ष 2014 में कार्यालय के पत्र संख्या-2106याता/120सी-06/2014 दिनांक 16-08-2014 को तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति, नई दिल्ली के निर्देशों के अनुपालन में किलोमीटर 18 से 51 तक सुरक्षात्मक कार्य का आंगणन पत्र संख्या-1002 नियोजन-76/15 दिनांक 21-10-2015 तथा संशोधित आंगणन पत्र संख्या 3136/699-6/2017-18 दिनांक 10-08-2017 को मुख्य अभियन्ता लो0नि0विभाग, टिहरी को भेजा जा चुका है। (प्रति संलग्न है।)

सहायक अभियन्ता श्री हरीश सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि इस मार्ग के किमी 0 18-51 तक लगभग 7 स्थानों पर अधिक दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र चिन्हित किये गये हैं। जिनपर कैंस बैरियर व पैराफिट एवं डैलीनेटर लगाया जाना बताया गया है।

घटना स्थल पर यह मार्ग बाईं तरफ घुमावदार है। कर्व की चौड़ाई सड़क ज्यामितिनुसार यथा उचित प्रतीत होती है। लेकिन कर्व से आगे सड़क की चौड़ाई मानक से कम पायी गयी। उक्त कर्व पर कैंस बैरियर व पर्याप्त संख्या में सुरक्षा फीचर जैसे सड़क चिन्ह, रम्बल स्ट्रीप आदि नहीं पाये गये। घटना स्थल का निरीक्षण करने से यह सम्भावना प्रतीत होती है कि उक्त वाहन काफी तेज गति से आने के फलस्वरूप वाहन चालक का वाहन से नियन्त्रण खोने के कारण वाहन को बायीं तरफ मोड़ने के बजाय कर्व से लगभग 2-3 मीटर आगे सड़क पर लगे डैलीनेटर को तोड़ते हुये दाहिनी तरफ खाई में लगभग 200 फीट नीचे गिर गयी।

निष्कर्ष:-

घटना स्थल पर निरीक्षण के दौरान व स्थानीय अधिकारियों तथा व्यक्तियों के प्राप्त जानकारी के अनुसार इस दुर्घटना का सम्भावित कारण चालक द्वारा नशे की हालत में वाहन पर नियन्त्रण खोना, तेज गति से संचालन करना हो सकता है। यद्यपि यह राज्य राजमार्ग वर्तमान यातायात आयतन के सापेक्ष काफी संकरा है। सड़क सुरक्षा फीचर जैसे कैंस बैरियर, पैराफिट व रम्बल स्ट्रीप घटना स्थल पर स्थापित होते तो इस दुर्घटना को कम/रोका जा सकता था।

अतः उक्त निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सादर प्रेषित है।

4/2/18
(प्रबोध घिल्लियाल)
निरीक्षक, पुलिस विभाग,
सदस्य लीड एजेन्सी।

(जे०पी० गुप्ता) 20/2/18
अधीक्षक अभियन्ता,
सदस्य लीड एजेन्सी।